

प 8/2020

कृष्णलाल लोधी के उपाय वकील अजायबिक  
 जवाब डा-फर प्रस्तुत नहीं कर डा-फर  
 02/12/20-9-157090 पर लीधे अदालत हेतु  
 निर्वाण किया। अदालत डा-फर सुनी गयी। मानविय  
 ने डा-फर स्वीकार कर घातक प्रतीति के परिणाम  
 को रिकार्ड पर लिखा जाता है। संबंधित अधिक  
 पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है। रिकार्ड पर लिखा  
 जाता है। वकील अजायबिक-12 जवाब  
 प्रस्तुत पर 09/12/20-157090 का पैमाना  
 नहीं आते। वकील प्रतीति एवं अजायबिक-1-2 की  
 डा-फर पर अदालत सुनी गयी। वकील प्रतीति  
 निर्वाण किया कि उस समय वादों के अधिकार  
 द्वारा डा-फर पर Not Press किया गया था तब  
 वादी को सूचना जानकारी नहीं दी तथा वकील  
 वादी को नोट प्रेषित करने से पहले द्वारा रिक्वायर्स  
 दी गई थी। मेरा दावा हमने की जाचना का है जिसका  
 निर्वाण मेरिट पर नहीं हुआ है। अतः नोट प्रेषित  
 की जानकारी विधि विच्छेद है। डा-फर स्वीकार कर  
 प्रकृत पुनः नम्बर पर लिख जाना है। निर्वाण किया।  
 वकील अजायबिक ने निर्वाण किया कि यदि डा-फर  
 स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।  
 प्रभावली एवं मूल रिकार्ड 5-6/12/20 का अपलोड  
 किया। पूर्व में प्रकृत तलबी प्रतिवादी हेतु विचारधीन  
 था। तथा उति के 1 से 3 की और से की मनीशमन द्वारा  
 अधिकारता निष्कर्ष। इस प्रकृत में श्री अजायबिक 12 की  
 और से मनीशमन द्वारा अधिकार निष्कर्ष है। अतः डा-फर  
 डा-फर स्वीकार करने पर कोई एतराज नहीं किया गया है।  
 अतः उक्त विवरण के आधार पर डा-फर 09/12/20 पर  
 स्वीकार कर 5-6/12/20 का प्रकृत का 45 अलग अलग  
 अलग अलग 8872A-53-8872A किमें पारित निर्वाण  
 डा-फर नोट प्रेषित के स्थान पर वादी को  
 सूचना वाद सुनवाई किया जाने की अनुमति प्रकृत की जाती है।  
 मूल रिकार्ड अतिरिक्त गारंटी लाया जाये। प्रभावली के लिये  
 में सुनवाई हेतु माखिल प्रस्तुत है।

2  
मिशन

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

